प्रपत्र – II

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद,छ.ग.

क्रमांक/1946/मान्यता/ अनुमति/2017–18 महासमुंद,दिनांक 17/05/2018

प्रति,

प्रबन्धक,

विषयः– बच्चों को निःशुल्क और अनवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्‌देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप–नियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2018 के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त मैं रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल महासमुंद (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से आठवी तक के लिए तीन वर्षो की अवधि के लिए, जो 2018-19 से 2020-21 तक प्रभावशील रहेगा,अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूं ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नही है और किसी भी प्रकार से कक्षा VII के बाद की मान्यता से सम्बन्धित नही है ।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर I) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून,2009(एनेक्सर II)विद्यालय के लिए बन्धनकारी होगा ।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा नर्सरी/पहली की दर्ज संख्या के **25%** तक प्रवेश देगा और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा ।
4. परिच्छेद 3 में सन्दर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2)के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी । ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा ।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नही लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा ।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में,साथ ही धर्म ,जाति या वंश,जन्म स्थान व अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नही करेगा ।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होते तक किसी कक्षा में रोका नही जायेगा या विद्यालय से रोका नही जायेगा ।
   - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक पताड़ना नही दी जायेगी ।
   - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही है ।
   - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
   - (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश ।
   - (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्टन्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किये जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे ।
   - (vii) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23 (3) के उद्‌देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी ।
   - (viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1)के तहत विशिष्टीकृत कर्तब्य पुरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्क्रम लागू करेगा ।